कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, सिमगा, जिला – बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक/ 805 /बाविपरि/स्था./आं.बा. नियु./2026–27 सिमगा, दिनांक 13/11/2026

–:: विज्ञापन ::–

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय डी. के.एस.भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 एवं यथा संशोधित निर्देश के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के नियुक्ति हेतु निर्देशों के तहत एकीकृत बाल विकास परियोजना सिमगा अंतर्गत वर्तमान में पद रिक्त होने से आ.बा. सहायिका के पद पर शासन द्वारा निर्धारित निर्देश एवं मापदण्डो के अनुसार नियमानुसार भर्ती किया जाना हैं। रिक्त पद **हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़,ब्लॉक–01 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन,नवा रायपुर का पत्र कमांक/IT/830/2025-WCD HOD IT SECTION /नवा रायपुर दिनांक 05.01.2026** के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर ऑनलाईन नियुक्ति की जानी हैं। अतः इच्छुक पात्र आवेदिका (महिलाओं/लड़कियों जो उसी ग्राम की स्थानीय निवासी) को नवीन ई–भर्ती पोर्टल URL:- https://aww.e-bharti.in// के माध्यम से दिनांक 16.11.2026 से 01.12.2026 तक नियमानुसार समस्त संलग्न प्रमाण पत्र सहित **केवल ऑनलाईन के माध्यम से पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा।** आवेदन की समस्त प्रकिया ई–भर्ती पोर्टल के USER MANUAL में दर्शित है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किये जावेंगे।

क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आं.बा. केन्द्र का नाम	पद नाम
1	2	3	4	5
1	संजारी नवागांव	बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	सहायिका
2	अमेरी	अमेरी	अमेरी	सहायिका

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएँ है –

1. आं.बा. कार्यकर्ता का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद हैं। आं.बा. कार्यकर्ता/सहायिका को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जावेगा। आं.बा. कार्यकर्ता/सहायिका का पद केवल महिलाओं/लड़कियो के लिए होगे।
2. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 1 वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह. सहायिका (क्रेश कार्यकर्ता/सहायिका) को आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट दी जावेगी। आयु की गणना नियुक्ति प्रकिया की सूचना जारी होने के तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जावेगी।
3. 1 वर्ष से कम की सेवा अनुभव रखने वाली आवेदिका को आयु सीमा छूट की पात्रता नही होगी। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हे अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हे दोबारा सेवा में नही लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. आवेदिका को ग्रामीण क्षेत्रो में उसी राजस्व ग्राम की स्थानीय निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तथा नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड हेतु विज्ञापन जारी हुआ हैं।
5. स्थानीय निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र :–
   (अ) उस ग्राम या नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे
   (ब) संबंधित ग्राम के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा ।

Scanned with OKEN Scanner

(स) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र।

(द) विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

6. आगनवाडी सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वी बोर्ड उत्तीर्ण

टीपः– उपरोक्तानुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता को शिथिल मानकर 5 वी उत्तीर्ण रखी जावेगी। **कक्षा 8 वी में ग्रेड की स्थिति में प्राप्तांक प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसके अभाव में मूल्यांकन नही किया जावेगा।**

7. अनुभवी सहायिका/सह सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यकता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर एवं अजा/अजजा विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 08 वी तक अध्ययन करने पर अतिरिक्त अंक दिये जावेगें। (इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को मान्य किया जावेगा। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए अंकसूची की स्व.–प्रमाणित छायाप्रति लगाया जाना अनिवार्य होगा तथापि अंतिम चयन आदेश पूर्व मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ अंकसूची सहित आवश्यक प्रमाण पत्र (सभी दस्तावेज) स्व–प्रमाणित हो।
8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदिकाओं को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अतिरिक्त जाति का अंक दिया जावेगा। तथा अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर अंक की पात्र नही होगी। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अस्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी वैधता अवधि समाप्त ना हुई हो साथ ही उसे शपथ पत्र देना होगा कि छः माह में स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अन्यथा जाति संबंधि अंक निरस्त माना जावेगा।
9. विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा (2 वर्ष से अधिक परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने संबंधित प्रमाण पत्र) :–
   (अ) विधवा होने कि स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा
   (ब) परित्यक्ता होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/ दिया गया प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। परित्यक्ता के संवंध में 2 वर्ष से अधिक अवधि ही मान्य होगी अथवा न्यायालय द्वारा जारी आदेश।
   (स) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगा।
   (द) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त हो रही हो तो उसका प्रमाण पत्र।
10. यदि आवेदिका गरीबी रेखा (प्रभावशाली सूची से) नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो तो **सक्षम अधिकारी (मुख्यकार्यपालन अधिकारी ज.पं. सिमगा)** द्वारा जारी गरीबी रेखा प्रमाण पत्र जिसमें गरीबी रेखा का क्रमांक एवं वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करना होगा । **वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के सर्वे सूची अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण** किया जाना है।
11. जन्म तिथि के प्रमाण हेतु आठवी अथवा दसवीं की अंक सूची संलग्न करें।
12. आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आं.बा. केन्द्र का नाम एवं पद का नाम (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा हैं) स्पष्ट रूप से लिखा जाना होगा।
13. चयन के किसी भी स्तर में प्रमाण पत्र/दस्तावेज/अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्यवाही कि जावेगी जिसकी सपूर्ण जवाबदारी आवेदिका की होगी।
14. अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन मान्य नही होगे एवं कोई भी नवीन प्रमाण पत्र संलग्न नही किया जावेगा।
15. अधिक जानकारी के लिए ई–भर्ती पोर्टल URL:- https://aww.e-bharti.in/ पोर्टल या कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना सिमगा आकर सूचना पटल का अवलोकन कर सकते हैं।
16. आवेदन पत्र आमंत्रण की अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन समिति द्वारा अनंतिम योग्यता सूची जारी कर दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड की जावेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उक्त ऑनलाईन सूची में अपने नाम के सम्मुख अंकित जानकारी एवं अंक का अवश्य अवलोकन कर लेवें। किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावा आपत्ति आवेदन अवश्य प्रस्तुत करे। दावा आपत्ति के समय किसी भी प्रकार का दस्तावेज /प्रमाण पत्र नही लिया जावेगा। केवल दावा आपत्ति ही स्वीकार किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है। आंगनवाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

टीपः–

1 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदिकाओ हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2 आवेदन की समस्त प्रकिया आनलाईन किया जाना है। **हार्ड कापी स्वीकार नही किये जायेगे।** इसलिए आनलाईन आवेदन भरते समय सावधानी से भरे।

3 ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि **01-12-2026** तक हैं।

(जी.आर. नारंग)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना सिमगा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

पृ क्रं./806/स्था./मबावि/आं.बा. नियु./2026–27
सिमगा, दिनांक 13/11/2026

प्रतिलिपि

1. कलेक्टर महोदय जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग बलौदाबाजार की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिमगा की ओर दो प्रति में प्रेषित कृपया एक प्रति सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करेंगें।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड सिमगा की ओर दो प्रति में प्रेषित कृपया एक प्रति सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करेंगें ।
5. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी विकास खण्ड सिमगा की ओर दो प्रति में प्रेषित कृपया एक प्रति सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करेंगें ।
6. संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक ..... एकीकृत बाल विकास परियोजना सिमगा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
7. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत..... को सूचनार्थ सूचना पटल पर चस्पा करनें एवं कोटवार से मुनादी कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सूचित करें ।
8. आंगनबाडी कार्यकर्ता .....की ओर सुचनार्थ। रिक्तियो के संबंध मे केन्द्र में चस्पा कर प्रचार प्रसार करावे ।

(जी.आर. नारंग)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना सिमगा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner